राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017

0141–2701596 E-mail: rajssaquality@gmail.com

क्रमांक–रा.स्कूल.शि.प/जय/गुणवत्ता/QMT/2019–20/ 11093 दिनांक 4/3/2020

क्वालिटी मॉनीटरिंग टूल्स अन्तर्गत भरे जाने वाले स्कूल मॉनीटरिंग प्रपत्र (School Monitoring Format) हेतु दिशा–निर्देश

विद्यालयों की शैक्षिक/सहशैक्षिक गतिविधियों को समझने, गुणवत्ता वृद्धि एवं गुणवत्ता शिक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य में एनसीईआरटी, नई दिल्ली के मार्गदर्शन में क्वालिटी मॉनीटरिंग टूल्स का निर्माण किया गया है। सत्र 2019–20 में क्वालिटी मॉनीटरिंग टूल्स अन्तर्गत निर्धारित स्कूल मॉनीटरिंग प्रपत्र में सूचना एकत्रित कर गुणवत्ता के विभिन्न आयामों को समझने का प्रयास किया जायेगा।

इस गतिविधि के उद्देश्य निम्नांकित हैं –

- बच्चों के शैक्षिक स्तर के साथ–साथ विद्यालय के विभिन्न पक्षों की वास्तविक स्थिति को समझना।
- प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विद्यालय में गुणवत्ता के विभिन्न आयामों की समीक्षा करना एवं गुणवत्ता वृद्धि हेतु विद्यालयों को फीड बैक देना।
- गुणवत्ता सुधार हेतु कार्य योजना बनाकर कार्य करवाना।
- मॉनीटरिंग की गुणवत्ता को मजबूती देना।
- गुणवत्ता के विभिन्न आयामों को विद्यालय, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर समझना।

स्कूल मॉनीटरिंग प्रपत्र समस्त राजकीय विद्यालयों (प्रावि, उप्रावि, मावि, उमावि) द्वारा ऑनलाइन भरा जाना है। स्कूल मॉनीटरिंग प्रपत्र को भरने की जिम्मेदारी स्वयं संस्था प्रधान की है। सत्र 2019–20 में संस्था प्रधान द्वारा **वर्ष में दो बार स्कूल मॉनीटरिंग प्रपत्र को भरा जाना है। स्कूल मॉनीटरिंग प्रपत्र प्रथम बार अर्द्ध वार्षिक परीक्षा के आधार पर (सत्र प्रारम्भ से 31 दिसम्बर 2019 तक) तथा द्वितीय बार वार्षिक परीक्षा के आधार पर (1 जनवरी 2020 से सत्रांत तक) भरा जाना है।**

स्कूल मॉनीटरिंग प्रपत्र को बिन्दुवार इस प्रकार भरा जाना है –

नोट : स्कूल मॉनीटरिंग प्रपत्र (School Monitoring Format) को भरने से पूर्व दिएं गए प्रश्न की प्रकृति की आवश्यकतानुसार दस्तावेज, लिखित सामग्री, रजिस्टर, डायरी, कापियाँ, प्रपत्र आदि देखे जा सकते हैं। आवश्यकतानुसार बच्चों से, शिक्षकों से, समुदाय से बातचीत की जा सकती है।

विद्यालय से संबंधित जानकारी

1. **निर्धारित अवधि के तहत सूचना** : जिस चरण का स्कूल मॉनीटरिंग प्रपत्र भरा जा रहा है उसमें से अर्द्ध वार्षिक एवं वार्षिक कॉलम में से किसी 1 कॉलम को सही के निशान से चिन्हित किया जाना है।
2. **विद्यालय डाइस कोड** : यू डाइस के अन्तर्गत आवंटित 11 अंको में विद्यालय का डाइस कोड निर्धारित बॉक्स में अंकित किया जाना है।
3. **विद्यालय का नाम व पता** – राजकीय विद्यालय का स्तर प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक/केजीबीवी अंकित करते हुए विद्यालय का पूर्ण पता मय ग्राम के अंकित किया जाना है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक एवं जिला का अंकन निर्धारित रिक्त स्थान पर किया जाये।
4. **विद्यालय का प्रकार**– प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, आवासीय एवं केजीबीवी विद्यालय में से सम्बन्धित को सही कर चिन्ह लगाते हुए अंकित किया जाये।
5. **प्रधानाध्यापक का नाम एवं मोबाइल नम्बर**: शाला के संस्था प्रधान/नही होने के स्थिति में कार्यवाहक संस्था प्रधान का नाम एवं मोबाइल नम्बर अंकित किया जाये।

www.rajteachers.com

1. सामान्य जानकारी

नोट : उक्त बिन्दुओं में "हाँ" के लिए 1 व "नहीं" के लिए 2 व "NA" के लिए 0 अंकित करना है। जिन बिन्दुओं में संख्यात्मक जानकारी चाही गई है वहाँ संख्या लिखी जानी है।

1. **बिन्दु संख्या – 1.1** : विद्यालय के सभी बच्चों को सरकार द्वारा निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की जाती है। इस बिन्दु में विद्यालय में पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता एवं उनके वितरण से संबंधित जानकारी चाही गई है। यदि विद्यार्थियों को 7 जुलाई तक भी सभी विषयों की पाठ्य पुस्तके प्राप्त हो गई हैं तो सामने वाले कॉलम में एक नही तो दो अंकित करें।
2. **बिन्दु संख्या – 1.2 व 1.5** : इन बिन्दुओं में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में जानकारी चाही गई है। अगर विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो 1.2 में 1 अंकित किया जाये। क्या उनके साथ उनकी आवश्यकता अनुसार अलग से सम्बलन प्रदान किया जाता है, की सूचना 1.3 में अंकित की जाये। शाला दर्पण पर CWSN की प्रविष्टि 1.4 में एवं संदर्भ केन्द्रों पर विशेष शिक्षकों द्वारा सम्बलन प्रदान किया जाता हैं कि सूचना बिन्दु संख्या 1.5 में दर्ज की जानी है।
3. **बिन्दु संख्या – 1.6 से 1.8** : यह बिन्दु विद्यालय भवन, विद्युत व्यवस्था, खेल मैदान की उपलब्धता, की जानकारी उक्त बिन्दुओं में अंकित करनी है।
4. **बिन्दु संख्या – 1.9 से 1.12** : यह तीनों बिन्दु निर्धारित अवधि में कितने अवलोकन किये गये, अवलोकनकर्ता द्वारा कितने सुझाव दिये गये एवं अवलोकनकर्ता द्वारा दिये गये सुझावों पर कितनी अनुपालना हुई यह जानकारी इन्द्राज करनी है।
5. **बिन्दु संख्या – 1.13** : यह बिन्दु विद्यालय में समन्वित आंगनबाडी केन्द्र में ईसीसीई गतिविधियों के सफलतापूर्वक संचालन के सम्बन्ध में जानकारी अंकित करनी है।
6. **बिन्दु संख्या – 1.14 से 1.16** : यह तीनों बिन्दु विद्यालय में अक्षय पेटिका की स्थापना, विद्यालय में जनसहयोग एवं भामाशाह द्वारा विद्यालय विकास एवं पीटीए की बैठकों के आयोजन के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई है।
7. **बिन्दु संख्या – 1.17 से 1.20** : इन बिन्दुओं में विद्यालय में मीना–राजू मंच, गार्गी मंच अन्तर्गत सहजकर्ता, सहजकर्ता का प्रशिक्षण तथा कोर टीम के गठन की संख्या की जानकारी चाही गई है।
8. **बिन्दु संख्या – 1.21 से 1.23** : इन बिन्दुओं में विद्यालय में अध्यापिका मंच में शिक्षिका सदस्यों की संख्या एवं सक्षम गतिविधि अन्तर्गत कुल लाभान्वित बालिकाओं की संख्या की जानकारी चाही गई है।
9. **बिन्दु संख्या – 1.24** : इस बिन्दु के अन्तर्गत विद्यालय में समुदायिक बालसभा का निर्देशानुसार आयोजन हेतु जानकारी दी जानी है।
10. **बिन्दु संख्या – 1.25** : इस बिन्दु के अन्तर्गत विद्यालय में खेलकूद गतिविधियों का निर्देशानुसार आयोजन हेतु जानकारी दी जानी है।
11. **बिन्दु संख्या – 1.26** : इस बिन्दु के अन्तर्गत विद्यालय में एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम की जानकारी दी जानी है।
12. **बिन्दु संख्या – 1.27 से 1.29** : इस बिन्दु के अन्तर्गत विद्यालय में आंगनबाडी समन्वयन, मेन्टर टीचर एवं मेन्टर टीचर द्वारा दिया जा रहे सम्बलन की जानकारी दी जानी है।

2. बच्चों का नामांकन एवं उपस्थिति

इस बिन्दु में विद्यालय में बच्चों के नामांकन एवं उनकी उपस्थिति से संबंधित जानकारी भरी जानी है। इसमें बच्चों का नामांकन, नामांकित बच्चों में से सीडब्लूएसएन बच्चों एवं सत्र के नामांकन में आयु अनुरूप/विद्यालय से वंचित बच्चों की संख्या, विद्यालय में गत माह तक की औसत उपस्थिति एवं औसत उपस्थिति का प्रतिशत कक्षावार एवं बालक–बालिका के अनुसार चाही गई है।

1. **औसत उपस्थिति का सूत्र इस प्रकार है –**
   औसत उपस्थित गत माह तक = गत माह तक उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या/कुल कार्य दिवस
2. **औसत उपस्थिति का प्रतिशत इस प्रकार निकालें –**
   औसत उपस्थिति का प्रतिशत = (औसत उपस्थिति गत माह तक/विद्यार्थियों का कुल नामांकन) x 100

www.rajteachers.com

3. शिक्षण प्रक्रिया, बच्चों का शैक्षिक स्तर एवं मूल्यांकन से संबंधित

1. **बिन्दु संख्या – 3.1 :** इस बिन्दु मे शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित जानकारी चाही गई है। कॉलम संख्या 2 में कक्षावार विषय पढ़ाए जाने वाले शिक्षक का नाम लिखा जाना है। कक्षा, शिक्षक का नाम एवं पढ़ाए जाने वाले विषय के आगे शिक्षक द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार पाठ्यक्रम पूरा किया गया है अथवा नहीं, इसकी जानकारी हेतु 1 अथवा 2 अंकित किया जाना है। आगे के कॉलम में क्रमशः शिक्षक द्वारा अपेक्षित शिक्षण योजना बनाई जाती है, संस्थाप्रधान द्वारा शिक्षण अधिगम योजना का अवलोकन कर हस्ताक्षर करना, शिक्षण अधिगम योजना में कक्षा स्तर के नीचे के स्तर के बच्चों के लिये भी गतिविधियों की योजना, बच्चों का निर्देशानुसार रचनात्मक एवं योगात्मक आकलन दर्ज करना, समूहवार शिक्षण, नियमित गृहकार्य , गृहकार्य की नियमित जांच, गलतियों को ठीक कर सुधारात्मक कार्य एवं बच्चों का पोर्टफोलियों आदि के बारे में जानकारी चाही गई है। सभी कॉलम में हाँ के लिए 1 एवं नही के लिए 2 अंकित किया जावे। सूचना कक्षावार एवं विषयवार अंकित की जानी है।
2. **बिन्दु संख्या – 3.2 :** इस बिन्दु में बिन्दु संख्या – 3.1 का समेकित रुप ही लिखा जाना है। जैसे – कुल कक्षाएँ, कुल शिक्षक संख्या, कुल विषय, कितने विषयों में पाठ्यक्रम मानदण्डानुसार पूर्ण किया गया है, कितने शिक्षकों द्वारा शिक्षण योजना बनाई है सम्बन्धित कॉलम में 3.1 में अंकित 1 (हाँ) का योग लिखा जाना है। कुल विषयों के आधार पर अंकित हाँ के योगानुसार प्रतिशतता निकालकर प्रतिशत के कॉलम में अंकित करना है। इसका उद्देश्य उपरोक्त कार्य कितने प्रतिशतता में हो रहे है इसकी जानकारी एकत्र करना है।
3. **बिन्दु संख्या – 3.3 :** बिन्दु संख्या 3.3.1 में शिक्षक द्वारा किए गए बच्चों के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी चाही गई है। शिक्षक द्वारा बच्चों के आकलन/मूल्यांकन हेतु लर्निंग इन्डीकेटर्स के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं। बिन्दु–3.3.2 में प्रश्न पत्र पर बच्चों द्वारा किए गए काम का सही आकलन किए जाने के बारे में जानकारी चाही गई है। बिन्दु संख्या – 3.3.3 में आकलन/मूल्यांकन के बाद बच्चों की प्रगति को अभिभावकों के साथ शेयर किए जाने तथा बिन्दु संख्या – 3.3.4 में कम उपलब्धि वाले बच्चों के लिए अलग से कार्य योजना बनाए जाने संबंधी जानकारी चाही गई है।
   नोट : यह जानकारी बच्चों के गत मूल्यांकन के आधार पर भरी जानी है।
4. **बिन्दु संख्या – 3.4 :** इस बिन्दु में कक्षा 5 में अध्ययनरत उन छात्रों का विवरण देना है जो राज्य सरकार के निर्देशानुसार 5वीं बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हुए है। 5वीं बोर्ड के नियमानुसार ग्रेड का निर्धारण इस प्रकार किया गया है–

ग्रेड	A+	A	B	C	D
अंक	91 से 100	76 से 90	61 से 75	41 से 60	0 से 40

5. **बिन्दु संख्या – 3.5 :** इस बिन्दु में कक्षा 8 में अध्ययनरत उन छात्रों का विवरण देना है जो राज्य सरकार के निर्देशानुसार 8वीं बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हुए है। 8वीं बोर्ड के नियमानुसार ग्रेड का निर्धारण इस प्रकार किया गया है–

ग्रेड	A+	A	B	C	D
अंक	91 से 100	76 से 90	61 से 75	41 से 60	से 40

6. **बिन्दु संख्या – 3.6 :** बिन्दु संख्या –3.6 में चाही गई सूचनाएँ सीसीई संचालित विद्यालयों द्वारा भरी जानी है। इन बिन्दुओं में बच्चों के शैक्षिक स्तर एवं सीसीई सामग्री एवं गतिविधियों से संबंधित जानकारी चाही गई है। बिन्दु संख्या 3.6 में प्रत्येक कक्षा में अध्ययनरत छात्रों का स्तर गत मूल्यांकन में (सीसीई आधारित) दर्ज स्तरानुसार अंकित करना है। विद्यार्थियों के स्तर को कक्षावार, विषयवार देखने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक कक्षा में छात्र एवं छात्राओं का नामांकन एवं कितने छात्र एवं छात्राएँ कक्षा अनुरूप हैं या नहीं इसकी जानकारी चाही गई है। x वाले कॉलम में कक्षा के उन विद्यार्थियों की संख्या अंकित करनी है जो गत मूल्यांकन में कक्षा के स्तरानुसार पाये गये एवं Y में कक्षा के स्तर से निम्न स्तर पर रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या अंकित की जानी है।

www.rajteachers.com

4. सीसीई संचालित गतिविधियों के संदर्भ में सामान्य जानकारी

भाग 4 में सीसीई कार्यक्रम की समीक्षा हेतु प्रश्न पूछे गये हैं अतः सीसीई अन्तर्गत कक्षा 1 से 5 के लिये उपयोग की जाने वाली सामग्री की उपलब्धता, आधार रेखा मूल्यांकन (कक्षा पदस्थापन), कक्षावार लर्निंग आउटकम्स की सामग्री की उपलब्धता, कक्षावार एवं विषयवार लर्निंग आउटकम्स के अनुरूप शिक्षण कार्य, एबीएल कक्ष विकास, एबीएल किट का उपयोग, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अभ्यास एवं आकलन के लिये सीखने के प्रतिफल के आधार पर कार्य पत्रक की उपलब्धता की जानकारी इन प्रश्नों के अन्तर्गत चाही गई है। वस्तु स्थिति अनुसार हाँ के लिए 1 व नही के लिए 2 अंकित किया जाये।

5. आईसीटी लैब/कल्प कार्यक्रम

बिन्दु संख्या –5.1 से 5.8 तक में पूछे गये प्रश्नों की जानकारी कल्प (Computer Added Learning Programe), आईसीटी एवं राजीव गाँधी करियर गाईडेन्स पोर्टल कार्यक्रम की समीक्षा हेतु रखे गये हैं। बिन्दु संख्या 5.1 सभी विद्यालयो को भरना है। यदि आईसीटी/कल्प कार्यक्रम संचालित है तो उस विद्यालय को 5.2 से 5.6 की जानकारी उपलब्ध करानी है। बिन्दु संख्या 5.7 में सेटलाइट कक्षाओं की जानकारी चाही गई है। बिन्दु संख्या 5.8 में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों द्वारा राजीव गाँधी करियर गाईडेन्स पोर्टल के उपयोग हेतु व्यवस्था की जानकारी चाही गई है।

6. पुस्तकालय का उपयोग

इस भाग में पुस्तकालय एवं पुस्तकों के उपयोग के बारे में जानकारी चाही गई है।

1. **बिन्दु संख्या – 6.1 :** इस बिन्दु में पुस्तकालय अनुदान विद्यालय को प्राप्त हुआ हैं या नहीं इसकी जानकारी चाही गई है।
2. **बिन्दु संख्या – 6.2 :** इस बिन्दु में पुस्तकालय में कुल उपलब्ध पुस्तकों की संख्या पूछी गई है। स्टॉक रजिस्टर में देख कर कुल पुस्तकों की संख्या लिखनी है।
3. **बिन्दु संख्या –6.3 :** इस बिन्दु में तय समयावधि तक पुस्तकालय से बच्चों को इश्यू की गई पुस्तकों की संख्या पूछी गई है। इश्यू रजिस्टर में देख कर यह संख्या लिखनी है।
4. **बिन्दु संख्या –6.4 :** इस बिन्दु में विगत 6 माह में कितने विद्यार्थियों को पुस्तके इश्यू करवायी गयी है उसकी जानकारी लिखनी है।
5. **बिन्दु संख्या –6.5 :** प्रत्येक कक्षा को प्रति सप्ताह समय विभाग चक्र में एक पुस्तकालय कालांश दिए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं।
6. **बिन्दु संख्या – 6.6 :** इस बिन्दु में पुस्तकालय कालांश में बच्चों को पुस्तकालय सामग्री पढ़ने के लिए दी जाती है अथवा नहीं, इस बारे में जानकारी चाही गई है।

7. पेयजल, शौचालय एवं शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम

इस भाग में विद्यालय में पेयजल व्यवस्था, पानी की गुणवत्ता, शौचालय, शौचालय में रनिंग वाटर की सुविधा, विद्यालय स्वच्छता हेतु उपलबध अनुदान राशि का उपयोग, बच्चों के साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था, WIFS कार्यक्रम, RBSK कार्यक्रम इत्यादि की जानकारी दी जानी है।

बिन्दु संख्या 7.19 अन्तर्गत बालक एवं बालिकाओं का हिमोग्लोबिन का स्तर पूछा गया है। इसमे हिमोग्लोबिन 11 से 11.4 होने पर MILD, हिमोग्लोबिन 8 से 10.09 होने पर Moderate, हिमोग्लोबिन 8 से कम होने पर Severe होगा।

8. विद्यालय प्रबन्धन समिति (एसएमसी) से संबंधित

इस भाग में एसएमसी की गतिविधियों से संबंधित जानकारी चाही गई है।

1. **बिन्दु संख्या –8.1 :** इस बिन्दु में विद्यालय को पूर्ण रूप से विकसित करने हेतु विद्यालय विकास योजना की निर्माण सम्बन्धी जानकारी चाही गई है।
2. **बिन्दु संख्या – 8.2 से 8.9 :** इन बिन्दुओं में निर्धारित समयावधि तक शिक्षक अभिभावक बैठकों की संख्या, कुल आयोजित बैठकें, बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों की सख्या, बैठकों में लिये गये निर्णय एवं निर्णयों की अनुपालना, प्रत्येक अभिभावक को उनके विद्यार्थीयों की प्रगति साझा करने की स्थिति की जानकारी चाही गई है।

www.rajteachers.com

9. विद्यालय का समेकित मूल्यांकन

यह भाग विद्यालय को समेकित ग्रेड देने के उद्देश्य से रखा गया है। संस्था प्रधान इस भाग में दिए गए बिन्दुओं को पढ़ें और शिक्षकों के साथ विद्यालय के कार्य की समीक्षा करते हुए इन बिन्दुओं के सामने A, B, C ग्रेड में से कोई एक ग्रेड अंकित करें। संस्था प्रधान नीचे दिए गए आधार पर अपने विद्यालय को ग्रेड अंकित करें। ग्रेड आधार इस प्रकार है

क्रम	ग्रेड बिन्दु	ग्रेड –A	ग्रेड –B	ग्रेड –C
9.1	बच्चों का शैक्षिक स्तर	विद्यालय में कक्षा के अनुरूप 80 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी गत मूल्यांकन में होने की स्थिति में	विद्यालय में कक्षा के अनुरूप 50 से 80 प्रतिशत तक होने पर।	विद्यालय में कक्षा के अनुरूप 50 प्रतिशत से कम होने पर।
9.2	बच्चों का नामांकन (नामांकन अभियान के अनुसार)	100 प्रतिशत बच्चों का नामांकन होने पर	70 से 99 प्रतिशत तक नामांकन होने पर	70 से कम नामांकन होने पर
9.3	बच्चों की उपस्थिति	औसत उपस्थिति का प्रतिशत 85 से अधिक होने पर।	औसत उपस्थिति का प्रतिशत 71 से 85 तक होने पर।	औसत उपस्थिति का प्रतिशत 70 से कम होने पर।
9.4	विद्यालय विकास योजना की क्रियान्विति का स्तर	निर्धारित समयावधि तक नियोजित विकास योजना 91 से 100 प्रतिशत पूर्ण होने पर।	निर्धारित समयावधि तक 75 से 90 प्रतिशत विकास योजना पूर्ण होने पर।	निर्धारित समयावधि तक 75 प्रतिशत से कम विकास योजना पूर्ण होने पर।
9.5	विद्यालय विकास हेतु एसएमसी एवं समुदाय के सहयोग की स्थिति	एसएमसी व समुदाय के द्वारा शत प्रतिशत सहयोग मिलने पर	एसएमसी व समुदाय के द्वारा मध्यम स्तर का सहयोग मिलने पर	एसएमसी व समुदाय के द्वारा कोई भी सहयोग प्राप्त नहीं होने पर
9.6	शिक्षकों द्वारा शिक्षण योजना बनाये जाने की स्थिति	कार्यरत समस्त शिक्षकों द्वारा निर्धारित अवधि में अपेक्षित शिक्षण योजना बनाने पर।	75 से 99 प्रतिशत शिक्षकों द्वारा अपेक्षित शिक्षण योजना बनाने पर	75 प्रतिशत से कम शिक्षकों द्वारा अपेक्षित शिक्षण योजना बनाने पर
9.7	बच्चों द्वारा किये गये अभ्यास कार्य की नियमित जाचँ एवं सुधारात्मक कार्य	91 से 100 प्रतिशत बच्चों द्वारा किये गये अभ्यास कार्य (कक्षा कार्य, गृह कार्य) की नियमित जाँच एवं सुधारात्मक कार्य करवाये जाने पर	70 से 90 प्रतिशत तक बच्चों के अभ्यास कार्य की नियमित जाँच एवं सुधारात्मक कार्य करवाये जाने पर	70 प्रतिशत से कम अभ्यास कार्य की नियमित जाँच एवं सुधारात्मक कार्य करवाये जाने पर
9.8	निर्धारित समयावधि में पाठ्यक्रम की पूर्णता (अधिगम संकेतक एवं पाठ्यक्रम विभाजन दस्तावेज के अनुसार)	निर्धारित समयावधि में 100 प्रतिशत पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर।	निर्धारित समयावधि में 75 से 99 प्रतिशत तक पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर।	निर्धारित समयावधि में 75 प्रतिशत से कम पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर।
9. 9	शिक्षक द्वारा शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग	विद्यालय में उपलब्ध सामग्री का 81 से 100 प्रतिशत तक उपयोग करने पर	विद्यालय में उपलब्ध सामग्री का 60 से 80 प्रतिशत तक उपयोग करने पर	विद्यालय में उपलब्ध सामग्री का 60 से कम प्रतिशत तक उपयोग करने पर
9.10	सहशैक्षिक गतिविधियों (साहित्यिक एवं सांस्कृतिक) का आयोजन	विद्यालय के 80 प्रतिशत से अधिक बच्चों द्वारा साहित्यक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी लेने पर।	विद्यालय के 60 से 80 प्रतिशत तक बच्चों द्वारा साहित्यक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी लेने पर।	विद्यालय के 60 से कम प्रतिशत तक बच्चों द्वारा साहित्यक एवं सांस्कृतिक में गतिविधियों भागीदारी लेने पर।

www.rajteachers.com

क्रम	ग्रेड बिन्दु	ग्रेड –A	ग्रेड –B	ग्रेड –C
9.11	विद्यार्थियों के लिए खेलकूद की व्यवस्था	विद्यालय के 81से 100 प्रतिशत तक बच्चों द्वारा खेलकूद में भागीदारी लेने पर।	विद्यालय के 60 से 80 प्रतिशत तक बच्चों द्वारा खेलकूद में भागीदारी लेने पर।	विद्यालय के 60 से कम प्रतिशत तक बच्चों द्वारा खेलकूद में भागीदारी लेने पर।
9.12	पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था	स्कूल मॉनीटरिंग प्रपत्र के भाग–9 (पेयजल, शौचालय एवं शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम) में 8 अथवा 8 से अधिक प्रश्नों में 1 (हाँ) अंकित करने की स्थिति में	स्कूल मॉनीटरिंग प्रपत्र के भाग–9 (पेयजल, शौचालय एवं शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम) में 4से 8 प्रश्नों में 1 (हाँ) अंकित करने की स्थिति में	स्कूल मॉनीटरिंग प्रपत्र के भाग–9 (पेयजल, शौचालय एवं शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम) में 1से 3 प्रश्नों में 1 (हाँ) अंकित करने की स्थिति में
9.13	पुस्तकालय का उपयोग	विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 2 से 5/8 के विद्यार्थियों में से 81 से 100 प्रतिशत विद्यार्थियों के द्वारा प्रति सप्ताह पुस्तकालय में उपलब्ध कम से कम एक पुस्तक पढ़ने की स्थिति में।	विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 2 से 5/8 के विद्यार्थियो में से 60 से 80 प्रतिशत विद्यार्थियों के द्वारा प्रति सप्ताह पुस्तकालय में उपलब्ध कम से कम एक पुस्तक पढ़ने की स्थिति में।	विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 2 से 5/8 के विद्यार्थियों में से 60 प्रतिशत से कम विद्यार्थियों के द्वारा प्रति सप्ताह पुस्तकालय में उपलब्ध कम से कम एक पुस्तक पढ़ने की स्थिति में।
9.14	विद्यालय भवन एवं परिसर की स्थिति	विद्यालय भवन एवं परिसर में कम से कम निम्नांकित बिन्दुओं की अपेक्षा की जा रही है – 1. स्वीकृत शिक्षकानुसार अच्छी स्थिति (उपयोग में लिये जाने योग्य) में कक्षा–कक्ष 2. प्रधानाध्यापक कक्ष की उपलब्धता (उपयोग में लिये जाने योग्य) 3. विद्यालय परिसर की चारदीवारी 4. उपलबध भवन की स्वच्छता एवं रंग रोगन 5. परिसर में पर्याप्त वृक्षारोपण 6. विद्यालय भवन निर्माण में भामाशाहों का योगदान उपर्युक्त 6 बिन्दुओं में से कम से कम 5 बिन्दुओं की पालना होने की स्थिति में।	बिन्दु संख्या ए में अंकित बिन्दुओं में से कम से कम 3 बिन्दुओं की पालना विद्यालय में होने की स्थिति में।	बिन्दु संख्या ए में अंकित बिन्दुओं में से 3 बिन्दुओं से कम की पालना विद्यालय में होने की स्थिति में।
9.15	विद्यालय अवलोकन में दिए गए सुझावों की अनुपालना की स्थिति	आधार तिथि तक किये गये अवलोकन के दौरान दिये गये सुझावों में से 81 से 100 प्रतिशत सुझावों की अनुपालना होने की स्थिति में।	अवलोकनकर्ता द्वारा दिये गये सुझावों में से 60 से 80 प्रतिशत अनुपालना होने की स्थिति में।	अवलोकनकर्ता द्वारा दिये गये सुझावों में से 60 प्रतिशत से कम अनुपालना होने की स्थिति में।
9.16	विद्यालय की विशिष्ट उपलब्धि	विद्यालय को राज्य एवं जिला स्तरीय उपलब्धि होने पर	ब्लॉक स्तरीय उपलब्धि होने पर	ग्राम पंचायत स्तरीय उपलब्धि होने पर

www.rajteachers.com

विद्यालय की समेकित ग्रेड :

विद्यालय की समेकित ग्रेड (A,B,C) निम्नानुसार निकाली जानी है –
उपर्युक्त टेबल में अंकित 16 बिन्दुओं के अन्तर्गत प्राप्त A,B,C का भार (Weightage) इस प्रकार निकाला जाये –

A = 5 Marks , B= 3 Marks , C= 2 Marks अधिकतम अंक 80 होंगे। जिस विद्यालय को 80 प्रतिशत से अधिक अंक अर्थात 64 से 80 अंक प्राप्त हो तो समेकित ग्रेड में A अंकित किया जावे। जिस विद्यालय को 60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक अंक अर्थात 48 से 79 अंक प्राप्त हो वे अपने विद्यालय को समेकित ग्रेड B अंकित करें। जिन विद्यालयों को 48 से कम अंक प्राप्त हो रहे है वे C ग्रेड में माने जाने है।

10. विद्यालय स्तर को और अधिक उन्नत करने के लिये आवश्यकता है :

इस भाग में संस्था प्रधान से यह अपेक्षा की गई है कि अपने विद्यालय को अधिक उन्नत बनाने के लिए जिन–जिन पक्षों की मजबूत करने की आवश्यकता है, उनका चयन करें। चयनित पक्षों के सामने 1 तथा चयनित नहीं किए जाने वाले बिन्दुओं के सामने 2 लिखें। इस भाग को भरते समय संस्था प्रधान अपने साथी शिक्षकों से अनिवार्य रुप से चर्चा करें।

अंत में प्रधानाध्यापक निर्धारित स्थान पर अपनी सील सहित हस्ताक्षर करें। एसएमसी अध्यक्ष एवं उपलब्ध सदस्यों के हस्ताक्षर निर्धारित प्रपत्र पर चर्चा करने के पश्चात प्राप्त करें। आगामी एसएमसी की बैठक में मॉनीटरिंग टूल्स (SMF) की सूचनाओं को आवश्यक रूप से सभी के साथ शेयर किया जाये। अपने विद्यालय की ग्रेड सुधारने हेतु सभी शिक्षक एवं एसएमसी सदस्य मिलकर कार्य योजना बनावें तदनुरूप कार्य किया जाये। निर्धारित अवधि तक अनिवार्य रूप से SMF को ऑनलाइन करवाया जाये।

नोट : SMF प्रपत्र को ऑनलाइन भरे जाने हेतु ऑनलाइन मॉड्यूल शाला दर्पण पर प्रक्रियाधीन हैं। ऑनलाइन माड्यूल का निर्माण पूर्ण होने पर प्रपत्र ऑनलाइन भरने हेतु निर्देश प्रथक से जारी किये जायेंगे।

(अभिषेक भगोतिया)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक–रा.स्कूल.शि.प/जय/गुणवत्ता/QMT/2019–20/ 11093 दिनांक 4/3/2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, निदेशालय, बीकानेर।
5. निजी सहायक, निदेशक, आरएससीईआरटी, उदयपुर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम/द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, यपुर।
7. संयुक्त निदेशक, समग्र शिक्षा, समस्त संभाग।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा समस्त जिले।
9. प्रधानाचार्य, डाइट समस्त जिले।
10. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
11. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त ब्लॉक।
12. पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त।
13. कार्यालय प्रति।

राज्य परियोजना निदेशक

www.rajteachers.com